

क्रमांक प.2(3)(ब)(3817) आ.कृ/158-177

दिनांक : 12/4/21

**आदेश**

राजस्थान सेवा नियम के नियम 56 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 के अन्तर्गत निम्नलिखित कृषि पर्यवेक्षक को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम कृषि पर्यवेक्षक	जन्म तिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक	कार्यालय का नाम
1	श्री भरतलाल मीना	05.06.1961	05.06.2021	30.06.2021	सहा. निदे. कृषि (वि०) सवाईमाधोपुर
2	श्री योगेन्द्र कुमार गौतम	08.06.1961	08.06.2021	30.06.2021	सहा. निदे. कृषि (वि०) सांगानेर
3	श्री भगवान दास	20.07.1961	20.07.2021	31.07.2021	सहा. निदे. कृषि (वि०) श्रीकरणपुर
4	श्री भूराराम जाट	13.12.1961	13.12.2021	31.12.2021	सहा. निदे. कृषि (वि०) दौसा

(नोट:- 1. उपरोक्त कृषि पर्यवेक्षकों के केवल सेवानिवृत्ति आदेश जारी किए जा रहे हैं उनका जांच बकाया नही होने का प्रमाण पत्र जाँच समाप्त होने के पश्चात पृथक से जारी किया जायेगा।

2. यदि कार्मिक को राजकीय आवास आवंटित हो तो सामान्य प्रशासन विभाग राज० जयपुर के निर्देशानुसार सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर कार्मिक से राजकीय आवास खाली करवा लिया जावे।)

**Σ २**  
(ताराचन्द मीना)  
आयुक्त कृषि एवं  
पंचायती राज (कृषि)

क्रमांक प.2(3)(ब)(3817) आ.कृ/158-177

दिनांक : 12/4/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) भरतपुर/जयपुर/श्रीगंगानगर।
3. उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद्, सवाईमाधोपुर/जयपुर/श्रीगंगानगर/दौसा।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) मु० को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सहायक निदेशक कृषि (वि.) सवाईमाधोपुर/सांगानेर/श्रीकरणपुर/दौसा।
6. संबंधित कृषि पर्यवेक्षक।
7. आरक्षी।

**Amee'**

(बी.एल.कुमावत)

सहायक निदेशक कृषि (प्रशासन)